"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2005—कार्तिक 6, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-1-25/2004/एक/2.—श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) को प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 15,100-18,300 में पदोन्नत किया जाता है. उक्त वेतनमान का लाभ दिनांक 1-1-2005 से देय होगा. श्री साहू को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, विशेष सचिव, आदिम-जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-7-15/05/1/6.—राज्य शासन, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के अंतर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु अधोलिखित सदस्यों की समिति गठित करता है.

1. माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन – अध्यक्ष
2. माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा – सदस्य
3. माननीय श्री अमर अग्रवाल – सदस्य
   मंत्री, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग
   छत्तीसगढ़ शासन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7-30/2004/1/2.—श्री शैलेश पाठक, भा.प्र.से., राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर को दिनांक 10-10-2005 से 5-11-2005 तक (27 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8, 9 अक्टूबर, 2005 एवं 6 नवम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाठक, भा.प्र.से., आगामी आदेश तक राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाठक, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाठक, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पाठक के अवकाश अवधि में श्री आई. सी. पी. केशरी, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ राज्यपाल के सचिव, राजभवन का कार्य संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7/7/2004/1/2.—डॉ. पी. राघवन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 18-10-2005 से 29-10-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-10-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. डॉ. राघवन, भा.प्र.से. के अवकाश अवधि में श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर का चालू कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. राघवन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में डॉ. राघवन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राघवन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक 3361/1828/2005/1/2.—श्री उजागर सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मण्डी बोर्ड, रायपुर को दिनांक 03-10-2005 से 14-10-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02, 15 एवं 16 अक्टूबर, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मण्डी बोर्ड, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-17/दो/गृह/05.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प्रेमदास मिरे	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्रीमती संगीता पी.	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
3.	श्रीमती अलरमेलमंगेई दी.	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
4.	श्री अमित कटारिया	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
5.	श्री अन्बलगन पी.	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
		परीक्षा केन्द्र रायपुर	
6.	श्री भूषण लाल साहू	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर

[illegible]

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-03/दो/गृह/05.—आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अजय कुमार धुर्वे	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-15/दो/गृह/05.—गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री ओम प्रकाश पाल	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(1)	(2)	(3)

परीक्षा केन्द्र रायपुर

2.	श्री राहुल शर्मा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-19/दो/गृह/05.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "सामान्य विधि-प्रश्नपत्र-2 (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्रीमती शालिनी रैना	उप वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2005

क्रमांक 7621/डी-2317/21-ब/छ.ग./05.— राज्य शासन, छ.ग. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 590/एक-8-6/2001/गोप./05, दिनांक 22-9-2005 के अनुपालन में श्री रामजीवन देवांगन, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, दुर्ग को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में उपसचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक 8/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिएं प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	लखराम	0.95	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्र. 9274 क /भू-अर्जन/32/अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	डोमपदर	0.28	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर.	सीतानदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शांतनु, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 2390/प्र.अ.वि.अ./लेखा/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	बीजाभांठा प. ह. नं. 17	4.588	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला वितरक नहर एवं बीजाभाठा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 2390/प्र.अ.वि.अ./लेखा/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भालुकोन्हा प. ह. नं. 17	1.444	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला वितरक नहर, बीजाभाठा माइनर एवं भालुकोन्हा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अक्टूबर 2005

क्रमांक /252/प्र. 1/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	बोरतरा प. ह. नं. 21	0.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही कर्रा व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	गड़वामौहा प. ह. नं. 28	4.750	अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग III, छ.रा.वि.मं., कोरबा पश्चिम.	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	झाबू प. ह. नं. 28	6.281	अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग III, छ.रा.वि.मं., कोरबा पश्चिम.	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	नवागांव प. ह. नं. 28	0.533	अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग III, छ.रा.वि.मं., कोरबा पश्चिम.	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	लोतलोता प. ह. नं. 28	2.640	अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग III, छ.रा.वि.मं., कोरबा पश्चिम.	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 नवम्बर 2003

क्रमांक 06/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.181 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3754/5	0.020
3754/4	0.032
3088	0.089
3059/3	0.012
2573	0.012
518	0.008
572	0.008
योग	0.181

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 नवम्बर 2003

क्रमांक 07/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.708 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3258/1	0.016
3258/2	0.016
3259/1	0.073
3261/1	0.029
3263	0.109
3261/2	0.109
3273/3	0.049
3273/2	0.008
2917/6	0.024
3272/6	0.053
3272/11	0.053
3272/9	0.044
3274	0.069
2876/4	0.012
2938/2	0.020
2892	0.016
2917/1	0.008
योग	0.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारी भंवर सब माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 नवम्बर 2003

क्रमांक 08/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुचकुलिया, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
94/1	0.028
86/4	0.049
175/2	0.040
योग	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 नवम्बर 2003

क्रमांक 09/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.201 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4066/1	0.028
4063, 4066/2, 4119	0.081
3873	0.056
4042/1	0.016
3861	0.020
योग	0.201

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आचनकपुर सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 सितम्बर 2005

क्रमांक 1301/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-दुरपा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
814/1, 815	0.065
240/2	0.040
योग	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुरपा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 सितम्बर 2005

क्रमांक 1302/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-छीतापाली, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
119/1	0.109
124/1	0.202
124/2	0.012
128/2	0.028
योग 4	0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छीतापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 सितम्बर 2005

क्रमांक 1303/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-सुकुलपारा, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2195/1	0.016
योग 1	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरौद सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 सितम्बर 2005

क्रमांक 1304/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-भागोडीह, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.909 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/3, 64/2, 64/3	0.065
62	0.012
63	0.097
54/2	0.344
53/1	0.267
53/2	0.004
52/1	0.105
52/2	0.097
49/1	0.089
50	0.198
37/2	0.178
37/3	0.109
51/2	0.069
41/3, 29/3	0.040
45/1	0.077
45/2	0.089
44	0.069
योग 17	1.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इस्कैप चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 सितम्बर 2005

क्रमांक 1305/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प. ह. नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.221 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
221/2	0.024
289/18	0.008
222/8	0.004
222/3	0.016
296/12	0.024
289/1	0.016
304/6	0.105
215/2	0.024
योग 8	0.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झालरौंदा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 21 सितम्बर 2005

क्रमांक 1306/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
298/2	0.045
योग 1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छिता पंडरिया माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 सितम्बर 2005

क्रमांक 1307/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पलाड़ी कला, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1607/2	0.028
1609/2	0.016
1615	0.012
1618	0.004
1639	0.045
1642/2	0.020
1642/3	0.061
1752/1	0.032
1755	0.024
योग 9	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पलाड़ी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 सितम्बर 2005

क्रमांक 1308/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-डुड़गा, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	172/8	0.036
	172/3	0.061
योग	2	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डुड़गा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 सितम्बर 2005

क्रमांक 1309/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-जमड़ी, प. ह. नं. 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1351	0.142
योग	1	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जमड़ी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 सितम्बर 2005

क्रमांक 1310/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-दर्री, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.589 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
314	0.150
315	0.829
312/3	0.202
312/1	0.097
312/2	0.004
312/4	0.089

(1)	(2)
310	0.218
योग 7	1.589

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इस्केप चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 सितम्बर 2005

क्रमांक 1311/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोईरडीह, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74/1	0.020
191/31	0.045
योग 2	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरदी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 सितम्बर 2005

क्रमांक 1312/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिता पंडरिया, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/30	0.032
योग 1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छिता पंडरिया माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 सितम्बर 2005

क्रमांक 1313/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिता पंडरिया, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
235/1	0.032
235/2	0.040
योग 2	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झालरौंदा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणी बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2005

क्रमांक 3/A-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सल्हैया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
117	0.13
182/1	0.24
116/3	0.01
181	0.13
184	0.05
179	0.10
709	0.16
183	0.13
185	0.16
251/1	0.16
250	0.31
265/4	0.01
266/1	0.01
267	0.30
327	0.07
748/2	0.02
911/1	0.01
328/1	0.18
328/3	0.18
328/4	0.01
328/2	0.14
347	0.16
799	0.22
348	0.01
349	0.28
399	0.04
409	0.19
350/1	0.04
408	0.45
407	0.12
405	0.15
404	0.11
403/1	0.11
352/1	0.03
400	0.21
911/2	0.13
398	0.14
779	0.18
637	0.01
397	0.24
396/1	0.16
643/2	0.13
703	0.12
704	0.19

(1)	(2)
705	0.15
708	0.05
745	0.24
746	0.09
715/2	0.16
707	0.06
716, 717	0.01
793	0.02
794	0.20
831/3	0.29
832	0.07
912	0.18
747	0.16
251/2	0.02
योग 58	7.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भरत सागर जलाशय (नहर) के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 09/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
163	0.21
198	0.17
263	0.05
266	0.16
279	0.19
365	0.12
382	0.19
180/1	0.03
280/1	0.33
371/1	0.20
164	0.33
168	0.23
171	0.42
172	0.72
180/2	0.03
190	0.81
166/1	0.06
225	0.19
256/1	0.10
166/2	0.06
167	0.11
170	0.19
173/1	0.14
173/2	0.05
192	0.25
176	0.11
188	0.85
191	0.10
207	0.18
237	0.10
240/2	0.20
181	0.12
182	0.46

(1)	(2)
199	0.33
193	0.25
194	0.21
195	0.11
196	0.18
197	0.12
389	0.14
404	0.18
200	0.27
201	0.42
203/1	0.08
203/2	0.07
367/2	0.14
204/1	0.03
253	0.37
369	0.20
204/2	0.21
206	0.20
227	0.21
241	0.65
252	0.11
208	0.10
209	0.19
240/1	0.30
210	0.05
218	0.23
221	0.32
222	0.14
224	0.26
228	0.06
226	0.18
229	0.17
230	0.14
235	0.30
265	0.18
236	0.23
238	0.11
250	0.27
251	0.08
272	0.20
239	0.03
243	0.04
245	0.09

(1)	(2)
247	0.08
383	0.33
385	0.14
407	0.29
388	0.26
254	0.21
256/2	0.20
264	0.19
364	0.37
268	0.20
371/2	0.20
394	0.07
270	0.08
273	0.05
275	0.10
276	0.36
277/1	0.07
360	0.22
357	0.16
274	0.04
361	0.13
362	0.18
278	0.22
280/2	0.32
363	0.06
366	0.09
367/1	0.14
368	0.22
370/1	0.53
370/2	0.21
373	0.25
387	0.15
189	0.34
381	0.66
384/1	0.10
386	0.06
219	0.14
453/2	0.04
468/3	0.02
469/1	0.07
1112	0.10
267	0.20
269	0.35

(1)	(2)
403	0.17
391	0.17
392	0.09
393	0.85
220	0.13
469/2	0.11
242	0.06
244	0.07
248	0.10
249	0.21
395	0.06
396	0.65
277/2	0.47
1110	0.28
390	0.34
374	0.32
406	0.27
405	0.25
477	0.25
469/3	0.02
450/2	0.01
1111	0.13
योग	28.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- फरी जलाशय के डुबान में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गुंजेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
113/1	0.13
179	0.62
215	0.50
113/2	0.46
190	0.10
114	0.57
115	0.83
116	0.10
117	0.44
118	0.44
119	0.06
120	0.03
121	0.03
160	0.37
161	0.31
188	0.19
162	0.22
213	0.54
217/2	0.44
220	0.32
165	0.11
211	0.09
166	0.41
167	0.66
168/1	0.22
168/2	0.22
169	0.35
170	0.34
171	0.17
172	0.19
173/1	0.54
173/2	0.46

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174	0.53
175	0.44
176	0.81
177	0.25
178	1.29
219	0.25
163	0.22
212/2	0.20
164	0.12
182	0.25
195	0.27
183	0.20
184	0.51
187	0.22
185	0.32
217/1	0.30
218	0.27
186	0.46
191	0.11
189	0.15
193	0.17
194	0.36
210	0.28
221	0.20
212/1	0.26
214	0.40
216	0.43
180	0.35
181	0.13
192	0.15
योग	20.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- एरमशाही जलाशय के डुबान में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-रनबोड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
628	0.42
630	0.31
631	0.19
632	0.18
888	0.33
889	1.73
892	2.57
895	0.59
906	2.63
907	1.23
893	0.07
896/1	0.31
896/2	0.30
897	0.86
909/1	0.82
909/2	0.24
910	0.02
911/1	0.15
911/2	0.15
911/3	0.31
918/1	0.12
918/2	0.12
918/3	0.08

(1)	(2)
918/4	0.30
918/5	0.39
918/6	0.14
912	0.49
913	0.80
914	0.41
915	1.06
916	0.55
917	0.30
936	0.34
937	1.17
948	0.77
949	0.84
946	0.36
953	0.58
890/1	0.23
890/2	0.23
891/1	0.22
891/2	0.21
961	0.10
962	0.78
योग	24.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलदहरा जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-बेलदहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
44	0.37
47	0.16
43	0.32
48	0.32
46	0.01
49/1	0.05
49/2	0.45
54	0.12
50	0.08
52	0.50
67	0.10
55	0.12
146	0.07
150	0.01
151	0.01
78/1	0.35
72/1	0.07
72/2	0.64
74	0.12
75	0.35
79	0.68
80	0.54
81	0.64
82/1	0.16
82/2	0.16
83	0.30
84	0.58
85	0.28
86	0.52
87	1.12
88	0.72
106	0.25
107	0.40

(1)	(2)
108	0.40
109	0.39
110	0.45
111	0.31
योग	12.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलदहरा जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
286	0.14
292	0.13
303	0.07
306	0.03
287	0.02
300	0.10
304	0.08
308/1	0.27
288	0.09
301	0.07
305	0.01
योग	1.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भनसुली माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कामता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
152	0.07
73	0.07
107	0.02
123	0.06
995	0.61
योग	0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कामता जलाशय निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 13/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-करही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.39 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
505	0.01
504	0.01
99	0.03
499	0.01
498	0.01
497	0.09
348	0.02
350	0.02
495	0.01
349	0.01
494	0.01
375	0.02
374	0.04
378	0.01
493	0.02
483/1	0.03
379	0.03
380/2	0.04
390/3	0.02
381	0.12
382	0.05
380/1	0.01
389/12	0.05
389/9	0.06
390/4	0.04
363/2	0.01
389/8	0.04
389/7	0.01
391	0.02
98	0.07
96	0.05
95	0.17
92	0.08
90	0.05
88	0.04
86	0.05
41/1	0.03
योग	1.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करही जलाशय के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक 16/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघौरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.408 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
396	0.178

(1)	(2)
397	0.045
432	0.640
434	0.073
398	0.243
441	0.057
402/2	0.186
422/2	0.303
422/3	0.704
422/36	0.080
433	0.312
422/32	0.049
422/42	0.223
422/37	0.080
422/50	0.223
429	0.089
440	0.231
453	0.162
456	0.036
435	0.494
योग	4.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खिलोरा जलाशय के डुबान में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 74.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-ढिढोरी, प.ह.नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.734 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
20	0.045
18/1	0.061
19	0.016
22/2	0.028
23	0.057
24	0.057
29	0.020
27	0.032
43	0.036
138/1	0.016
136	0.162
132/1	0.113
209	0.324
207	0.267
205	0.016
219/1	0.271
220	0.057
221	0.097
244	0.194
246/1	0.286
249/1	0.117
249/2	0.117
259/2	0.020
228	0.340
227/1	0.008
227/2	0.008
226	0.117
225/2	0.174
229	0.032
230	0.053
231	0.081
293	0.222

(1)	(2)
291	0.061
290	0.024
284	0.375
283	0.101
282	0.045
239/2	0.081
239/3	0.061
238	0.121
242/1	0.081
242/2	0.061
242/3	0.049
260	0.040
योग 44	4.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 75.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली, प.ह.नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.673 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/1	0.012
5/2	0.089
4/5	0.020
4/6	0.117
4/8	0.061
4/16	0.101
4/17	0.020
4/9	0.141
4/7	0.121
20	0.089
21/1	0.012
21/2	0.012
29/2	0.028
201/1	0.405
201/5	0.045
201/7	0.028
193/1	0.053
194	0.028
195/1	0.105
184/1	0.032
184/2	0.028
196/1	0.069
22	0.057
योग 23	1.673

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 76.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-ठमरेली, प.ह.नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	312	0.053
	311	0.028
	310/6	0.028
	310/4, 310/5	0.036
	310/7	0.061
	368/1	0.113
	368/2	0.081
योग	7	0.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 77.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्रा, प.ह.नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.097
1/4	0.040
1/2	0.085
4	0.008
30/1	0.012
3	0.101
2/1	0.142
2/2	0.065
29/1	0.008
29/2	0.085
29/3	0.036
27	0.089
33	0.069
68	0.036
67	0.089
69	0.004
63	0.069
93/1	0.081
95	0.049
97	0.016
99	0.016
28	0.101
102	0.032
103/1	0.053
103/2	0.028
104	0.004
359/1	0.097
359/3	0.081
359/2	0.178
360	0.101
375/1	0.134
371	0.053
375/2	0.040
377	0.069
381	0.004
382	0.077
383	0.004
384	0.069
394	0.012
395	0.061
398	0.085

(1)	(2)
399	0.040
369	0.049
योग	2.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 78.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-सोहागपुर, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.811 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
470/1	0.040
648/7	0.040
463/3	0.040
456/1	0.121
457/3	0.053
457/4	0.032
458	0.125
660/1	0.117
659	0.032
658/3	0.032
658/1	0.028
658/2	0.016
658/5	0.028
658/6	0.016
648/5	0.016
648/6	0.024
648/8	0.020
658/4	0.028
654/1	0.004
671/3	0.020
689/4, 689/3	0.061
652	0.101
696/1	0.134
721/1	0.012
672/1	0.061
701/1	0.178
690	0.210
695	0.040
696/2	0.040
715/2	0.045
716/1	0.008
716/2	0.008
717	0.081
योग	1.811

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 79.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
19/4	0.024
19/5	0.024
16/1	0.004
16/2	0.012
योग 4	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सराईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 80.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-कुरुडीह, प.ह.नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.198 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
248	0.020
247/2	0.004
246	0.004
244	0.085
241	0.053
242	0.061
239/2, 3	0.040
238	0.028
240	0.020
237	0.004
268	0.020
239/1	0.040
235, 236	0.101
169/1	0.069
233	0.020
234	0.020
232	0.012
175	0.036
174	0.032
176/1	0.049
173	0.020
179	0.053
170/2	0.036
107/1	0.020
158	0.004
116/1 क	0.024
116/1 ख	0.024
116/1 ग	0.024
116/2	0.109
216/6	0.057
216/5	0.077
114	0.032
योग 32	1.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुकुन्दपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 81.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-उमरेली, प.ह.नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
51/1, 2, 3	0.109
50	0.069
57	0.065
58	0.057
59/2	0.028
60	0.008
61	0.057
62	0.032
95/1, 98/1	0.036
97	0.008
योग 10	0.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोहागपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-कुरुडीह, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.725 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
488/1	0.032
488/2	0.008
500/1	0.061
500/3	0.045
500/2	0.081
498/1 क	0.036
493	0.012
494/1	0.020
494/2	0.057
495/2	0.024
250/1	0.057
250/2	0.081
250/3	0.081
249/1	0.081
249/2	0.049
योग 15	0.725

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोहागपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 83.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.805 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
128	0.061
152	0.004
132	0.045
173	0.093
133	0.016
134	0.085
151	0.012
156/2	0.069
156/1	0.057
155	0.032
158	0.129
176/2	0.008
177	0.097
181	0.020
180	0.032
179	0.045
योग 16	0.805

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोहागपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 84.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1531/1	0.040
1532/3	0.073
1537/1, 1537/5, 1537/9	0.190
योग 3	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बालपुर माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 85.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-मुकुन्दपुर, प.ह.नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.607 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/8	0.607
योग	1	0.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बायीं तट नहर अंतर्गत नाला डायवर्सन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 86.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-मुकुन्दपुर, प.ह.नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.101 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	89/4	0.061
	83/7	0.040
योग	2	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हसदेव बायीं तट नहर के अंतर्गत डेवियर मा. नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8106/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-संडी, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-53.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
70/1	2.69
70/2	2.70
70/3	2.70

(1)	(2)
73	0.09
74	0.09
75	0.10
76/1	0.13
76/2	0.20
76/3	0.18
76/4	0.19
77/1	0.20
77/2	0.20
77/3	0.25
77/4	0.25
78/1	0.11
78/2	0.15
78/3	0.10
78/4	0.10
78/5	0.34
79/1	0.40
79/2	0.40
79/3	0.18
79/4	0.17
85/1	0.10
85/2	0.16
85/3	0.10
86/1	0.16
86/2	0.30
87	0.45
88	0.18
89	0.32
90/1	0.25
90/2	0.30
90/3	0.25
91/1	0.40
91/2	0.40
92	0.20
93	0.21
94	0.44
96	0.20
97	0.38
99/1	0.35
99/2	0.70
103	1.78
104/1	0.20
104/2	0.32
104/3	0.10
105/1	3.00
105/2	3.00
105/3	3.00
105/4	3.10
106/1	0.85
106/2	0.85
107	1.20
109/1	0.32
109/2	0.31
110	0.31
111/1	1.00
111/2	1.00
111/3	4.50
111/5	3.00
112/1	1.37
112/2	1.37
112/3	1.37
119	0.20
133/1	0.92
133/3	0.06
133/4	0.14
133/6	1.04
133/8	0.91
190/2	0.20
197/1	0.20
योग 72	53.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पंडरिया जलाशय के अंतर्गत डूबान उलट एवं बांध पार निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th October 2005

No. 604/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) are hereby transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and posted on the post of Special Judge specified in column No. (6) of the table below of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date they assume charge of their office and :—

The following Members of Higher Judicial Service are also appointed as Additional Sessions Judge for their respective Sessions Divisions as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	from (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Mahendrapal Singhal, Additional District & Sessions Judge.	Baikunthpur	Jagdalpur	Bastar	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
2.	Shri Mahendra Rathore, I Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
3.	Shri Brijlal Tidke, Additional District & Sessions Judge.	Korba	Raipur	Raipur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.

Bilaspur, the 4th October 2005

No. 606/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The following Civil Judges Class-II as specified in Column No (2) of the table below are hereby promoted and appointed on ad-hoc basis as Civil Judges Class-I with the condition that they (except the officers from S. No. 1 to 5 of the table below) shall be entitled for the pay of the post of Civil Judge Class-I only after completion of their 6 years' service as Civil Judge Class-II.

The following Judicial Officers are hereby transferred from the place as specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Gopal Krishna Neelam, Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Korba	Dharamjaigarh.	Raigarh	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Raigarh at Dharamjaigarh.
2.	Smt. Dhaneshwari Sidar, II Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Rajnandgaon.	Janjgir	Janjgir-Champa	II Civil Judge, Class-I.
3.	Shri Gregory Tirkey, Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Baikunthpur.	Baikunthpur.	Koriya	II Civil Judge, Class-I.
4.	Shri Rohit Singh Tanwar, V Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Ambikapur	Manendragarh.	Koriya	II Civil Judge, Class-I.
5.	Shri Hirendra Singh Tekam, VII Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Bilaspur	Dongargarh	Rajnandgaon.	Civil Judge, Class-I
6.	Shri Sanjay Kumar Soni, III Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Jagdalpur	Sukma	Dakshin Bastar	Civil Judge, Class-I
7.	Shri Jitendra Kumar, V Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Durg	Bilaspur	Bilaspur	II Civil Judge, Class-I.
8.	Shri Maneesh Kumar Thakur, Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Pendra-Road.	Kondagaon	Bastar	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Jagdalpur at Kondagaon.
9.	Shri Mohd. Rizwan Khan, III Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Raipur	Raipur	Raipur	III Civil Judge, Class-I.
10.	Shri Mansoor Ahmed, III Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Bilaspur	Sarangarh	Raigarh	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Raigarh at Sarangarh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Shri Vijay Kumar Hota, I Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Sanjari-Balod.	Sanjari-Balod.	Durg	Civil Judge, Class-I
12.	Ku. Saroj Nand Das, I Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Janjgir	Durg	Durg	II Civil Judge, Class-I.
13.	Shri Praveen Kumar Pradhan, II Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Bemetara	Gharghora	Raigarh	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Raigarh at Gharghora.
14.	Shri Khilawan Ram Rigri, I Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar	II Civil Judge, Class-I.
15.	Shri Chhameshwar Lal Patel, Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Kawardha	Katghora	Korba	Civil Judge Class-I
16.	Ku. Sanghratna Bhatpahari, VIII Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Durg	Bilaspur	Bilaspur	IV Civil Judge Class-I.
17.	Ku. Vinita Lawang, VII Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Durg	Baloda-Bazar	Raipur	Civil Judge, Class-I
18.	Shri Rishi Kumar Barman, Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Surajpur	Mahasa-mund.	Mahasamund	II Civil Judge, Class-I.
19.	Shri Thomas Ekka, Addl. Judge to Civil Judge, Class-II.	Baloda-Bazar	Gariaband	Raipur	Civil Judge, Class-I
20.	Shri Devendra Nath Bhagat, Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Katghora	Bhanu-pratappur	Bastar	Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Jagdalpur at Bhanupratappur.
21.	Shri Pradeep Kumar Singh, Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Sarangarh	Pendra-Road	Bilaspur	Civil Judge, Class-I
22.	Shri Dileshwar Singh Rathiya, Civil Judge, Class-II & J.M.F.C.	Jashpur-nagar.	Rajnand-gaon.	Rajnand-gaon.	II Civil Judge, Class-I.

Bilaspur, the 4th October 2005

No. 607/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The following Judicial Officers are hereby also transferred from the place as specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Angus Baruk Toppo, Civil Judge, Class-I & J.M.F.C.	Sukma	Bilaspur	Bilaspur	V Civil Judge, Class-I.
2.	Shri Prafull Sonwani, II Civil Judge, Class-II.	Durg	Dante-wara.	Dakshin Bastar.	I Civil Judge, Class-II.

Bilaspur, the 4th October 2005

No. 601/Confdl./2005/II-1-1/2002.—It is hereby notified that consequent upon the Notification No. K-11019/1/2005-US.II dated October 3, 2005 of the Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Fakhruddin, Seniormost Judge of Chhattisgarh High Court has assumed charge of the office of Chief Justice of Chhattisgarh High Court with effect from the forenoon of 2nd October 2005 since Hon'ble Shri Justice Ananga Kumar Patnaik has relinquished charge of the office of the Chief Justice of Chhattisgarh High Court and has taken oath as Chief Justice of Madhaya Pradesh High Court on 2nd October 2005 at 11 A.M.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.